Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चित्तौड़गढ़ में रिश्वत लेते पकड़े गये सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के आवास एवं ठिकानों की तलाशी में मिली 68 लाख 71 हजार रुपये से अधिक की नगदी मिली**
- **करोड़ों रुपये बाजार कीमत की चल–अचल सम्पत्तियों के दस्तावेज भी मिले, एक लॉकर की तलाशी शेष**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *13 जुलाई, गुरूवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा कल चित्तौड़गढ़ में कार्यवाही चित्तौड़गढ़ करते हुये राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड चित्तौड़गढ़ को परिवादी से **4 लाख रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोपी अधिशासी अभियंता के आवास एवं ठिकानों की तलाशी में **68 लाख 71 हजार रुपये से अधिक नगद** एवं **करोड़ों रुपये बाजार कीमत की चल–अचल सम्पत्तियों** के दस्तावेज मिले हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई द्वारा कल चित्तौड़गढ़ में कार्यवाही चित्तौड़गढ़ करते हुये **राजेन्द्र प्रसाद लखारा** अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड चित्तौड़गढ़ को परिवादी से **4 लाख रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

जिस पर एसीबी के उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की उदयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्व में एसीबी टीमों द्वारा आरोपी अधिशासी अभियंता के रिहायशी मकान नं0 19, आशुतोष पुरम सेक्टर नं0 14, एम.पी. कॉलोनी, उदयपुर की तलाशी ली। तलाशी में 24 लाख 57 हजार रुपये नगद, नोट गिनने की मशीन, अचल सम्पत्ति में 10 भूखण्ड, दो आवासीय मकान, 3 कृषि भूमि एवं 3 चार पहिया वाहन, 2 दो पहिया वाहन तथा दो लॉकर होने की जानकारी मिली। बैंक ऑफ इण्डिया में संधारित लॉकर की तलाशी में 42 लाख 84 हजार रुपये नगद तथा सोने–चाँदी के आभूषण कीमत लगभग 14 लाख 81 हजार रुपये पाये गये। आरोपी के चित्तौड़गढ़ स्थित सरकारी आवास की तलाशी में 1 लाख 30 हजार रुपये नकद मिले है। इस प्रकार आरोपी अधिशासी अभियंता के आवास एवं ठिकानों की तलाशी में **68 लाख 71 हजार रुपये से अधिक नगद** एवं **करोड़ों रुपये बाजार कीमत की चल–अचल सम्पत्तियों** के दस्तावेज मिले हैं। एक बैंक लॉकर की तलाशी लिया जाना शेष है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आय से अधिक सम्पत्ति का प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।